Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 97–2022/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 31, 2022 (JYAISTHA 10, 1944 SAKA)

vacancyconnect

हरियाणा सरकार

मानव संसाधन विभाग

(सामान्य सेवाएं–II शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 31 मई, 2022

संख्या 42/119/2019-5 जीएस–I.— सामान्य पात्रता परीक्षा के माध्यम से भर्ती के लिए नीति, अर्थात् सामान्य पात्रता परीक्षा, 2022 के माध्यम से ग्रुप–ग तथा घ पदों पर भर्ती के लिए नीति, दिनांक 5 मई, 2022 के सम संख्यक द्वारा अधिसूचित, राज्य सरकार ने कुछ संशोधन करने का निर्णय लिया है, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा सरकार, मानव संसाधन विभाग, अधिसूचना संख्या 42/119/2019-5 जीएस–I दिनांक 5 मई, 2022 में, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

(1) खंड 2, के उपखंड (viii) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

(viii) **"ग्रुप ग पद"** से अभिप्राय है, अध्यापन पदों को छोड़कर, आयोग द्वारा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले ईयरमार्क पुलिस सेवा, कारागार तथा गृह रक्षी आदि के पदों सहित ग्रुप ग के सभी पद जहां न्यूनतम योग्यता कक्षा 10+2/समकक्ष या मैट्रिक अतिरिक्त योग्यता के साथ है, राज्य सरकार के विभागों, राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रित बोर्ड, निगम, वैधानिक निकाय या किसी अन्य अभिकरण में सीधी भर्ती।

(2) खंड 3 के उपखंड (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

(i) ग्रुप ग पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 10+2/समकक्ष या मैट्रिक अतिरिक्त योग्यता के साथ होगी। ग्रुप घ पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम योग्यता मैट्रिक में एक विषय के रूप में हिन्दी या संस्कृत या उच्चतर मानक में एक विषय के रूप में हिन्दी या हरियाणा ग्रुप घ कर्मचारी (भर्ती तथा सेवा शर्त) अधिनियम, 2018 (2018 का 5) के उपबंध के अनुसार होगी।

(3) खंड 4 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

4. सामान्य पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम:

(1) सामान्य पात्रता परीक्षा के लिये पाठ्यक्रम निम्नलिखित को मिलाकर दो भागों में विभक्त किया जायेगा–

(क) सामान्य ज्ञान, विवेचन, परिमाणात्मक योग्यता, अंग्रेजी और हिन्दी तथा ग्रुप ग पदों के लिए अतिरिक्त कम्प्यूटर ज्ञान, के लिए 75 प्रतिशत अधिमान;

(ख) हरियाणा के इतिहास, सामयिक मामलों, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति इत्यादि के लिए 25 प्रतिशत अधिमान।

(2) ग्रुप ग पदों के लिए प्रश्न पत्र वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा स्तर (अर्थात् 10+2/समकक्ष स्तर) तथा ग्रुप घ पदों के मामले में माध्यमिक शिक्षा स्तर (मैट्रिक स्तर) का होगा।

बशर्ते की हिन्दी और अग्रेंजी मैट्रिक स्तर की हो।

संजीव कौशल,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT
(General Services-II Branch)

Notification

The 31st May, 2022

No. 42/119/2019-5GS-I.— In the Policy for recruitment through the Common Eligibility Test, namely, Policy for Recruitment to Group C and D posts through Common Eligibility Test, 2022, notified *vide* even number dated 5th May, 2022, the State Government has decided to make some amendments, namely:-

AMENDMENT

In Haryana Government, Human Resources Department, notification No. 42/119/ 2019-5GS-I, dated 5th May, 2022, the following clauses shall be substituted, namely :-

(a) Sub-clause (viii) of Clause 2, shall be substituted as under :-

(viii) **'Group C posts'** means all Group C posts including the posts of Police Service, Prisons and Home Guards etc. but excluding the teaching posts, where the minimum educational qualification is 10+2/equivalent or Matric with additional qualification, earmarked for direct recruitment in the departments of State Government, Boards, Corporations, statutory bodies or any other agency owned and controlled by the State Government, to be filled up through the Commission;

(b) Sub-clause (i) of Clause 3, shall be substituted as under :-

(i) The minimum educational qualification shall be class 10+2/equivalent or Matric with additional qualification, for eligibility to appear in CET for Group C posts. The minimum qualification shall be Matric alongwith Hindi or Sanskrit as one of the subjects in Matric or Hindi as one of the subjects in Higher Standard or as per provision in Haryana Group D Employees (Recruitment and Conditions of Service) Act, 2018 (5 of 2018) for eligibility to appear in CET for Group D posts.

(c) Clause (4) shall be substituted as under :-

4. Syllabus for CET.

(1) The syllabus for Common Eligibility Test shall be divided into two parts comprising—

(a) 75% weightage for General Awareness, Reasoning, quantitative ability, English and Hindi; and for Group C posts, computer knowledge in addition; and

(b) 25% weightage for History, Current Affairs, Literature, Geography, Environment, Culture etc. of Haryana.

(2) The question paper shall be of the level of senior secondary education (i.e. 10+2/equivalent level) for Group C posts and of the level of secondary education (Matric level) in case of Group D posts.

Provided that Hindi and English shall be of Matric Level.

SANJEEV KAUSHAL,
Chief Secretary to Government Haryana.

vacancyconnect